न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 129/2013

सायलान :- बनाम गैरसायलान :-

1. खातून पुत्री नूर मोहम्मद
   पत्नी सदीकखां जातियान-भाट
   मुसलमान, निवासी-लाम्बिया, तह.
   -जैतारण, जिला-पाली(राज.)
2. जैतून पुत्री नूर मोहम्मद
   पत्नी अहमद हुसैन फौत
   के कायम मुकाम-
   2/1 नासीर पुत्र अहमद हुसैन
   2/2 अख्तर हुसैन पुत्र अहमद हुसैन
   जातियान-भाट मुसलमान,
   निवासीगण-अहमदाबाद
3. अमीना पुत्री नूर मोहम्मद
   पत्नि नजीर खां
   जातियान-भाट मुसलमान,
   निवासीगण- अहमदाबाद
4. खेरू पुत्री नूरमोहम्मद
   पत्नि याकूब
   जातियान-भाट मुसलमान,
   निवासीगण-कोटा डेम
5. मेरू(फौत) पुत्री नूरमोहम्मद
   पत्नि यासीन के कायम मुकाम
   5/1 आजाद पुत्र यासीन
   5/2 आरीफ पुत्र यासीन
   जातियान- भाट मुसलमान,
   निवासीगण- अहमदाबाद
6. शाबरा पुत्री नूरमोहम्मद
   पत्नी शाबीर जातियान-भाट
   मुसलमान, निवासीगण-परबतसर
   जिला-नागौर (राज0)

1. अहमद पुत्र नूरमोहम्मदजी (फौत)
   के कायम मुकाम :-
   1/1 हलीमा पुत्री अहमद
   1/2 शेखा पुत्री अहमद
   1/3 सलमा पुत्री अहमद
   1/4 रहीमन पुत्री अहमद
   1/5 अरूणा पुत्री अहमद
   जातियान-भाट मुसलमान
   निवासीगण - देवरिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. उप पंजियन अधिकारी, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.20.03.2013

उपस्थित:- 1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनांक:- 26/05/2015

वकील भय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-देवरिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0) की सीमा में खसरा 718 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वाके हैं। नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 साथ पेश की हैं। उक्त कृषि भूमि सायलान् के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पिता नूरमोहम्मद पुत्र मन्नुखां की खरीद व खातेदारी की हैं और नूरमोहम्मद का देहान्त होने पर उनके जायदा पुत्र मृतक अहमद अलाबक्श एवं नूरमोहम्मद की बेवा सुगरी के नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के वारिसान की हैसियत से उक्त कृषि भूमि के संम्बन्ध में अमल दरामद किया गया। मृतक नूरमोहम्मद के उत्तराधिकारी पुत्रगण अहमद (वर्तमान में फौत) व अलाबक्श व उनकह बेवा सुगरी के अलावा नूरमोहम्मद की जायन्दा पुत्रीयां सालयान भी उत्तराधिकारी हैं। किन्तु तत्कालीन समय में नूरमोहम्मद के देहान्त के पश्चात् उनकी जायन्दा पुत्रीयों के नाम बतौर वारिसान के म्यूटेशन संख्या 834 के खिलाफ सालयान की और से घोषणा का वाद पेश किया हैं। वर्तमान समय में अहमद वल्द नूरमोहम्मद का भी देहान्त हो चुका हैं और उसके वारिस उसकी बेवा व पुत्रीयों के नाम जरियें म्युटेशन संख्या 1458 के बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। उक्त कृषि भूमि मृतक अहमद वल्द नूरमोहम्मद की स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं हैं। बल्कि सायलान के पिता मृतक नूरमोहम्मद से जरिये वारिस के मृतक अहमद को मिली हैं। सायलान मृतक नूरमोहम्मद की जायन्दा पुत्रीयां एवं मृतक पुत्रीयों की संतान हैं। इसलिए उक्त कृषि भूमि में इनका भी हक व अधिकार हैं। इसलिये सायलान घोषणा की दादरसी हेतु वाद श्रीमान की सेवा मे सादर पेश किया हैं। उक्त कृषि भूमि मृतक नूरमोहम्मद वल्द मन्नुखां की स्वअर्जित कृषि भूमि हैं। जिससे सायलान का भी गैरसायल मृतक अहमद एवं अल्लाबक्श व बेवा सुगरी के साथ बराबर का हक हिस्सा व अधिकार हैं। क्योंकि सायलान भी मृतक नूरमोहम्मद की जायन्दा पुत्रियां व वारिसान हैं। इसलिये इसी आधार पर सायलान की और से गैरसलायन के खिलाफ घोषणा व तकसमा की दादरसी हेतु भी वाद पेश किया गया हैं। गैर सायलब मृतक अहमद के वारिसान उक्त कृषि को किसी अजनबी को बिना बंट्वाड़ा के ही बेचने पर आमादा हैं। इसलिये सायलान की और से स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतु भी वाद गैरसायलान के खिलाफ पेश किया हैं। सायलान के स्वयं के शपथ-पत्र तथ्यों परिस्थितियों नूरमोहम्मद की जायन्दा पुत्रीयां व फौत पुत्रीयो की वारिसान होने से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं। अगर गैरसायलन द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपनें नाम का गलत फायदा उठाते हुए। उक्त कृषि भूमि को किसी अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण कर देते हैं व रहन रख देते हैं, तो सायलान अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से तथा अपने पूवजों की कृषि भूमि से हमेशा के लिये महरूम होना पडेगा तथा सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपुर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी व विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी, जिनको रोके जाने हेतु सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला सुविधा का सतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू होने से गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया। पत्रावली जवाब हेतु विचाराधीन हैं। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-देवरिया में पेश हुई। जवाब पेश करने हेतु गैरसायलान को कई समय दिए गये। गैरसायलान जवाब पेश नही करने से गैरसायलान का जवाब बंद किया जाता हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा सायलान के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20/03/2013 को जारी हो चुकी हैं। जिसमें राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखने हेतु जारी किया गया था। लिहाजा गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा जरिए रोका जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः सायलान का प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा–देवरिया, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज0) की सीमा में खसरा 718 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में सायलान के कब्जे काश्त की भूमि में गैरसायलान को दखल करने से अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाता है। न्यायालय के आदेश दिनांक 20/03/2013 को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–देवरिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner